

(1005)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ

पत्रांक संख्या- 13/184/2018-19

दिनांक- 5/2/19

किंग केयर फाउण्डेशन  
25 मुगलान मोहल्ला,  
काकोरी, लखनऊ।

प्रमाणित किया जाता है कि किंग केयर फाउण्डेशन, 25 मुगलान मोहल्ला, काकोरी, लखनऊ की खतौनी वर्ष 1424-1425 के खाता सं० 202 पर गाटा सं०- 2529 कुल रकबा 0.7420 हे० व खाता सं० 203 पर गाटा सं०- 2544/2 कुल रकबा 0.0758 हे० कुल दो किता रकबा 0.8178 हे० स्थित कस्बा काकोरी, परगना काकोरी, तहसील सदर, लखनऊ को कार्यालय आदेश/वाद सं० 01823/2019, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी-201910460201823, दिनांक 23.02.2019 अन्तर्गत धारा-80, अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 द्वारा अकृषिक घोषित किया जा चुका है।

धारा-80, अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित हो चुकी भूमि का उपयोग भूमिधर औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय अथवा कृषि से भिन्न किसी और प्रयोजन में कर सकता है। अतः आप द्वारा कार्यालय आदेश/वाद सं० 01823/2019, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी-201910460201823, दिनांक 23.02.2019 द्वारा अकृषिक घोषित भूमियों का उपयोग शैक्षणिक प्रयोगार्थ किया जा सकता है।

उप जिलाधिकारी  
सदर, लखनऊ  
उप जिलाधिकारी सदर,  
लखनऊ।